कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर

नरसिंह भवन 487001 नरसिंहपुर फोन नं .07792-230900

E-mail :- dmnarsinghpur@nic.in Fax No. 230915 website:- www.narsinghpur.nic.in

क्रमांक/4870/सॉ.लि./2021 नरसिंहपुर, दिनांक 05/05/2021

–:संशोधित आदेश:–

(अंतर्गत धारा 144 दं0प्र0सं01973)

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में कोविड–19 के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों से हो रही बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुय कोविड–19 महामारी के रोकथाम हेतु निर्देश जारी किये गये थे जिसके अनुसार जिले में कोराना की महामारी का संक्रमण के बचाव हेतु भारतीय द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 के तहत् कार्यालयीन आदेश क्रमॉक/4754/सॉ0लि0/2021 नरसिंहपुर दिनॉक 28/04/2021 द्वारा संपूर्ण नरसिंहपुर जिले की सीमा के लिए दिनांक 08 मई 2021 को प्रातः 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किए जाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

नरसिंहपुर जिले में दूध की दुकानें, मिल्क पार्लर को कोरोना कर्फ्यू के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक ही खुल सकेगीं। शाम 7 बजे के बाद सब्जी, फल के ठेले भी नहीं खुलेंगे। शनिवार, रविवार को सब्जी, फल के ठेले पूरी तरह बंद रहेगें। किराना दुकानों से भी शनिवार, रविवार को होम डिलेवरी प्रतिबंधित रहेगी। बाकी दिनों में सुबह 6 बजे से 12 बजे एवं शाम 5 बजे से 7 बजे तक किराना दुकानों से होम डिलेवरी की जावेगी। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां एवं साईकिलिंग आदि पर भी प्रतिबंध रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(वेद प्रकाश)
जिला दण्डाधिकारी
नरसिंहपुर

पृ.क्रं./ 4871 / सां.लि./2021
प्रतिलिपिः–

नरसिंहपुर,दिनांक 05/05/2021

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नरसिंहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार सर्व जिला नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व संबंधित...अधिकारी जिला नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन, नरसिंहपुर की ओर जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
11. प्रभारी अधिकारी, कलेक्ट्रेट एन.आई.सी. नरसिंहपुर की ओर जिला प्रशासन की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

जिला दण्डाधिकारी
नरसिंहपुर